पत्रांक –3/एम०–63/2013(पार्ट–2)सा०प्र0...10681.../

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

गुफरान अहमद,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सभी विभाग
सभी विभागाध्यक्ष
पुलिस महानिदेशक
सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना, दिनांक ...16 – 9 – 2021

विषय– सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक–10000 दिनांक–10.07.2015 के आलोक में संविदा नियोजन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में निदेशानुसार कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक–10000 दिनांक–10.07.2015 द्वारा राज्य सरकार के सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को संविदा के आधार पर नियोजित करने की प्रक्रिया एवं मार्गदर्शक सिद्धान्त निरूपित है।

2. उपर्युक्त संकल्प के प्रावधान के आलोक में संकल्प की अनुसूची में सम्मिलित पदों पर राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/कार्यालयों के सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों का संविदा नियोजन सम्प्रति किया जा रहा है।

3. संकल्प ज्ञापांक–10000 दिनांक–10.07.2015 की कंडिका–3(4)(v) निम्नवत् है–

"सामान्यतः प्रोन्नति की श्रृंखला वाले पदों पर उक्त व्यवस्था लागू नहीं रहेगी, परन्तु संबंधित विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि यदि प्रोन्नत पद पर प्रोन्नति अगले एक वर्ष के अन्दर दिया जाना सम्भव नहीं हो वहाँ ऐसी नियुक्तियाँ उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत की जा सकती है।"

4. उपर्युक्त प्रावधान से यह स्पष्ट है कि सामान्यतः किसी सेवा/संवर्ग के मूल कोटि (सीधी भर्त्ती) के पद पर ही संकल्प ज्ञापांक–10000 दिनांक–10.07.2015 के आलोक में संबंधित सेवानिवृत्त कर्मियों का संविदा नियोजन किया जाना है।

5. उपर्युक्त आशय के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या–11398 दिनांक–23.08.2016 द्वारा भी निदेश संसूचित है।

6. फिर भी यह देखा जा रहा है कि कतिपय प्रशासी विभागों/कार्यालयों के स्तर से मूल कोटि के पदों के साथ–साथ प्रोन्नति के पदों को प्रासंगिक संकल्प की अनुसूची में जोड़े जाने अथवा प्रोन्नति के पदों पर भी संविदा नियोजन का प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाता है।

7. उपर्युक्त के संबंध में सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि–

(i) सामान्यतः राज्य सरकार के किसी सेवा/संवर्ग के मूल कोटि के पदों पर ही संविदा नियोजन का प्रस्ताव प्रशासी विभाग/कार्यालय द्वारा संबंधित चयन समिति के समक्ष उपलब्ध कराया जाय।

(ii) संबंधित प्रशासी विभागों द्वारा सम्यक् समीक्षा के उपरान्त संकल्प ज्ञापांक–10000 दिनांक–10.07.2015 की अनुसूची में पूर्व से सम्मिलित विभिन्न विभागों/कार्यालयों के नियंत्रणाधीन सेवा/संवर्ग के प्रोन्नति के पदों को उक्त अनुसूची से विलोपित करने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाय ताकि प्रोन्नति के पदों को उक्त संकल्प की अनुसूची से विलोपित करने की कार्रवाई सामान्य प्रशासन विभाग के स्तर से की जा सके।

8. अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त निदेश से अपने अधीनस्थों को अवगत कराते हुए तदनुसार कार्रवाई करने हेतु निदेशित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

15/9/21

(गुफरान अहमद)
सरकार के उप सचिव।